

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 12(7) ग्रावि/नरेगा/ग्राम सेवक/2010

जयपुर, दिनांक:-

06 AUG 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान ग्राम सेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 06.08.2010 एवं 11.08.2010 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन करें जो आपको दिनांक 13.08.2010 को ई-मेल के द्वारा भिजवाई गई है। उक्त बैठक में मिले गये निर्णयों की पालना में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में जारी जॉब कार्डों में फर्जी जॉब कार्ड बमने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जारी जॉब कार्डों का सत्यापन नरेगा स्थाई समिति एवं पटवारी द्वारा प्रत्येक गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर किया जायेगा।
2. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत अधिकांशतः कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही करवाये जा रहे हैं। अन्य राजकीय विभागों द्वारा बहुत कम संख्या में कार्य करवाये जा रहे हैं। इससे श्रमिकों को रोजगार देने का सारा भार ग्राम पंचायतों पर आ गया है। विभागों के द्वारा कार्य करवाये जाने में यह कठिनाई आती है कि विभागों के कार्य नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं होते हैं। जो कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होते हैं वे विभागों की नीतियों एवं मापदण्डों के अनुसार नहीं होते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यकारी विभाग जैसे वन, जल संसाधन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय मापदण्डों व सीमाओं में करवाये जाने वाले कार्यों की अग्रिम सूची प्रतिवर्ष माह अगस्त तक जिला कलेक्टर द्वारा विभागों से प्राप्त कर पंचायत समिति के माफत सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में भिजवा दी जावे ताकि प्रतिवर्ष माह सितंबर/अक्टूबर में नरेगा की वार्षिक कार्य योजना हेतु आयोजित ग्राम सभा में इन कार्यों पर विचार कर वार्षिक कार्य योजना में इन्हें सम्मिलित कर लिया जावे ताकि इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर समय पर इन कार्यों को प्राथमिकता से विभागों के द्वारा करवाया जा सके।
3. इस कार्यालय द्वारा दि.29.12.09 को नरेगा के कार्यों के निरीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों में लेखा सहायक को भी उनको

आवंटित ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर नरेगा की रोकड बही, रिपोर्टिंग फण्ड, अग्रिम राशि के समायोजन, लेखों के समुचित संधारण, वित्तीय अनुशासन की जांच करने का दायित्व सौपा गया था। इन निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

4. इस कार्यालय के पत्र दि. 18.06.2010 द्वारा आपको स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि किसी माह में नियोजित श्रमिकों की संख्या कम रहती है तो उस ग्राम पंचायत में नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन एवं ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं अन्य पंचायतों में ली जा सकती है। आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि जो ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्र के समीप है तथा जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक रोजगार की मांग नहीं करते है, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायक को दूसरी ग्राम पंचायत में कार्य करने हेतु लगाया जा सकता है, जहां ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है तथा नियोजित श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। यही व्यवस्था उस स्थिति में भी की जा सकती है जब किसी पंचायत में किसी समय विशेष में नरेगा के अन्तर्गत श्रमिक नियोजित नहीं है या बहुत कम है तो उस पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन से पास में स्थित दूसरी पंचायत में भी काम लिया जा सकता है, जहां पर किसी समय विशेष में बहुत ज्यादा श्रमिकों का नियोजन है।

किसी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक का पद रिक्त है तो उसे तुरन्त भरा जावे तथा रिक्त रहने की अवधि में वहा पर भी उपरोक्तानुसार निकट की ग्राम पंचायत से स्टाफ की व्यवस्था की जावे।

5. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में नरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत अनुबंध के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश आपको दिये हुए है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अतः पद रिक्त होते ही उन्हें भरा जावे। सभी अनुबंध के पदों के लिए पदवार चयनित अभ्यर्थियों का पेनल बना लिए जावे। पद रिक्त होने पर तुरन्त उक्त पेनल में से पद को भर दिया जावे। सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को रिक्त होते ही तुरन्त सेवा ऐजेन्सी को निर्देश देकर उक्त पदों को भरा जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

13/7/2010
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव ई.जी.एस